

Amarujala

शिक्षामित्रों को ऑफलाइन प्रवेशपत्र

प्रयागराज। 69000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में गलती करने वाले शिक्षामित्रों को कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस आशय का आदेश शासन से भी आ गया है। शासन की ओर से मिली छूट का लाभ लगभग 700 शिक्षामित्रों को मिलेगा। विशेष सचिव चंद्रशेखर की ओर से एससीईआरटी के निदेशक, सचिव परीक्षा

69000 शिक्षक भर्ती

नियामक प्राधिकारी को भेजे पत्र में आवेदन में गलती करने वाले अर्ह शिक्षामित्रों को ऑफलाइन प्रवेशपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे शिक्षामित्रों से कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, फोटो आदि के साथ एक प्रत्यावेदन 4 जनवरी को सायं 5 बजे तक परीक्षा नियामक कार्यालय को प्राप्त करा दें ताकि उन्हें उम्र में छूट का लाभ देते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जा सके।

S